न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 38 / 16–17

मनीष कुमार राय बनाम् रैयान मौजा–घाट सीमड़ा

वर्तमान वाद आवेदक मनीष कुमार राय, पे0–विशनदेव राय, साकिन– घाट सिमरा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–घाट सिमरा नं0–35 के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

उक्त वाद में दो व्यक्तियों द्वारा प्रधनी बहाली हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। आवेदक मनीष कुमार राय एवं मुकुन्द राय द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान बहाली हेतु आवेदन दिया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–149 / रा0, दिनांक–29.03.2017 से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें संलग्न राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक पूर्व प्रधान का पोता है। आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्व0 हृदय नारायण राय मौजा–घाट सिमरा नं0–35 के पूर्व प्रधान थे। प्रतिवेदन में मनीष कुमार राय को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–घाट सिमरा नं0–35 का प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है। किसी भी प्राधिकार एवं विपक्षी द्वारा उक्त नियम के अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में मनीष कुमार राय को अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया गया है। आवेदक मुकुन्द राय का प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से अबतक अप्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–149 / रा0, दिनांक–29.03.2017 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मनीष कुमार राय, पे0–विशनदेव राय, साकिन–घाट सिमरा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को मौजा–घाट सिमरा नं0–35 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा मुकुन्द राय का आवेदन खारिज किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

[signature] 27.02.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

[signature] 27.02.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen [signature] 27/2/19

7-8-19 अभिलेख उपस्थापित।
नव नियुक्त प्रधान मनीष कुमार राय के द्वारा जमानत की राशि का कोषागार चलान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल किया गया है। पट्टा हस्ताक्षरित! निर्गत करें।

[signature] 7/8/19
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा

F/Order.